मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 25 जून 2020

- सूचना -

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल द्वारा दिनांक 01.07.2020 से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी जिसमें प्रारंभिक सुनवाई के प्रकरण, अत्यावश्यक त्वरित सुनवाई (extremely urgent hearing) के प्रकरण तथा अंतिम सुनवाई के ऐसे प्रकरण जिसमें दोनों पक्ष सुनवाई के लिए सहमत होंगे, सीमित संख्या में सुनवाई हेतु लिये जाएंगे।

इस हेतु प्रतिदिन निर्धारित प्रकरणों की सूची राज्य आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु राज्य आयोग कार्यालय में भूतल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किया गया है जहां अधिवक्ता/पक्षकारगण सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकेंगे। जो अधिवक्ता/पक्षकारगण राज्य आयोग स्थित वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूप में उपस्थित होने में इच्छुक नहीं होते हुए अन्य स्थान से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं उन्हें राज्य आयोग के ई-मेल scdrcbho@mp.nic.in पर अग्रिम रूप में अनिवार्यतः अपने सक्रिय ई-मेल तथा मोबाईल नम्बर का विवरण उपलब्ध कराना होंगे। जिसके माध्यम से उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग से संबंधित लिंक भेजा जा सकेगा। विवरण के अभाव में संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार सुदूर (Remote) वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु अधिवक्ता / पक्षकारगण गरिमानुरूप वेशभूषा अथवा गणवेश में उपस्थित होंगे चाहे वे किसी भी स्थान से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल हो रहे हों।

(राजीव म. आपटे)
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल
2. अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिवक्ता संघ, भोपाल

(राजीव म. आपटे)
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल